विदेश से आने वाले फर्जी प्रस्तावों से सावधान रहें

भारतीय रिज़र्व बैंक

www.rbi.org.in

लाटरी के लिए विदेश धन भेजना फेमा के अन्तर्गत प्रतिबन्धित किया गया है !!!

जनता को धोखा देने वाले धोखेबाजों की कार्य प्रणाली

- लाटरी जीतना/बाहर से विदेशी मुद्रा में सस्ती निधियों के प्रेषण/रोजगार के प्रस्ताव/वजीफे के प्रस्ताव/नौकरियों के प्रस्ताव/आप्रवासन वीज़ा/प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश आदि से संबंधित फर्जी प्रस्ताव हो सकते हैं।

- इस प्रकार के प्रस्ताव बहुधा पत्रों, ई-मेल, मोबाइल फोन पर एस.एम.एस. आदि के माध्यम से किये जाते हैं। कभी-कभी धोखेबाज प्रमाण पत्र, पत्र, परिपत्र आदि जारी करते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है, कि इन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा भेजा गया है और उस पर उच्च कार्यपालक/वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि हस्ताक्षर व पत्र वास्तविक है।

- कुछ धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाज फर्जी टेलीफोन नं0 और/अथवा फर्जी ई-मेल आईडी के साथ स्वयं को रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी होने का अभिनय/स्वांग करके पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

- धोखेबाज भोलीभाली जनता से विभिन्न मदों जैसे प्रसंस्करण शुल्क/लेन-देन शुल्क/कर समाशोधन प्रभार/संपरिवर्तन प्रभार, समाशोधन शुल्क आदि के नाम पर धन उगाही का प्रयास करते हैं।

- धोखे के संभावित शिकार को प्रेरित किया जाता है कि वह भारत के विभिन्न बैंकों में धन जमा करे।

- एक बार माँगी गयी प्रारम्भिक राशि जमा करने के बाद, वह राशि खाते से तुरन्त निकाल ली जाती है और तत्पश्चात लेन-देन कर (Transaction Tax), पंजीकरण राशि आदि के नाम पर पहले से अधिक राशि की नयी माँग प्रस्तुत कर दी जाती है।

क्या इस प्रकार के प्रस्ताव फर्जी हैं ? क्यों ?

- दुर्भाग्यवश उक्त प्रस्तावों से संबंधित सभी कुछ फर्जी होता है- सम्भावित पीड़ित से सम्पर्क के लिए ई-मेल आईडी, फोन नं0 और फोन पर आपसे संपर्क करने वाला व्यक्ति भी फर्जी है।

परन्तु आपको काल (Call) करने वाला या मेल (Mail) करने वाला व्यक्ति कहता है कि धनराशि व्यक्ति विशेष/कम्पनी/ट्रस्ट के नाम से भारतीय रिज़र्व बैंक के खाते में जमा है और रिज़र्व बैंक में जमा राशि से निधि का संवितरण केवल आपके कहने पर ही होगा।

- रिज़र्व बैंक संवितरण के लिए इस प्रकार के किसी भी व्यक्तियों/कम्पनियों/ट्रस्टों आदि के नाम से खाते का रख रखाव नहीं करता।

- रिज़र्व बैंक धन जमा करने के लिए, व्यक्तियों के खाते नहीं खोलता।

- इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक इन खातों में धन जमा होने के साक्ष्य स्वरूप किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या पुष्टीकरण या रसीद जारी नहीं करता।

- रिज़र्व बैंक अपने किसी भी अधिकारी को इस प्रकार के धन वितरण के लिए अधिकृत नहीं करता।

यदि मैं इन योजनाओं/प्रस्तावों में भाग लेता हूँ तो क्या मैं अपना धन वापस प्राप्त कर सकूंगा ?

- इस प्रकार के खातों में जमा की गयी राशि, अधिकतर मामलों में जमा किये जाने के बाद तुरन्त निकाल ली जाती है। इस प्रकार निःसन्देह आपका धन तो डूब ही जाता है, परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रकार का कार्य करके आप फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

- फेमा, 1999 के अन्तर्गत बने चालू खाता नियमों के अनुसार विभिन्न नामों के अन्तर्गत कार्यरत योजनाओं जैसे- लाटरी जैसी योजनाओं में भागीदारी हेतु प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराना प्रतिबन्धित है।

तदनुसार, भारत के बाहर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भुगतान प्राप्त करना अथवा धन भेजने वाले भारत के निवासी व्यक्ति के विरुद्ध फेमा, 1999 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों से रिज़र्व बैंक चिन्तित क्यों है।

- बहुत से लोग सस्ती निधियों के इस प्रकार के फर्जी प्रस्तावों की धोखाधड़ी से पीड़ित होकर, बहुत बड़ी धनराशि गंवा चुके हैं।

- इस उद्देश्य के लिए भारत के बाहर (विदेश) प्रेषण भेजना फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

- रिज़र्व बैंक के जाली लेटर हेड पर बने हुए पत्र/प्रमाण पत्र (जिन पर उच्च अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर हैं) प्रसार में हैं। रिज़र्व बैंक निधियों के संवितरण के लिए व्यक्तिगत नामों/ कम्पनियों/ट्रस्टों आदि के नाम से कोई खाता मेन्टेन नहीं करता है।

- इस प्रकार के धोखाधड़ी करने वाले स्वयं को रिज़र्व बैंक का अधिकारी होने का स्वांग/अभिनय करते हुए, जाली ई-मेल आईडी व टेलीफोन नम्बरों से पीड़ितों से फोन पर सम्पर्क करते हैं।

- ऐसे भी प्रयास हुए हैं कि रिज़र्व बैंक की डुप्लीकेट वेब साइट से जनता को प्रलोभन दिये गये हैं।

जनता को चेतावनी देने के लिए क्या रिज़र्व बैंक कुछ कर रहा है ?

- विदेशी मुद्रा का कार्य करने के लिए अधिकृत बैंकों (जिनको प्राधिकृत व्यापारी बैंक कहा जाता है) को ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में सचेत/आगाह करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बहुत से एपी (डीआईआर. श्रंखला) परिपत्र जारी किये हैं। इस श्रंखला में 26 मई 2010 का नवीनतम ए.पी. (डीआई आर श्रंखला) परिपत्र जारी किया गया है।

- ऐसे धोखाधड़ी के प्रस्तावों के विरुद्ध जनता को सचेत करने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की हैं, जो बैंक की वेब साइट www.rbi.org.in पर स्थायी रूप से उपलब्ध हैं।

- रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से "जागो ग्राहक जागो" कार्यक्रम में सहयोग करके इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में प्रचार किया है।

- हम जनता को भी सलाह देते हैं कि वह इस प्रकार के धोखाधड़ी के प्रस्तावों के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए हमसे सम्पर्क करे और ऐसे प्रस्तावों के खिलाफ स्थानीय पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराये।

क्या रिज़र्व बैंक ऐसे अपराधों की जाँच कर रही है ?

- ऐसे अपराधियों को ढूंढ़ निकालने और उन्हें पकड़वाने के लिए रिज़र्व बैंक के पास जाँच की कोई शक्ति व अधिकार नहीं है।

- फेमा, 1999 के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय (इनफोर्समेंट डाइरेक्ट्रेट) जाँच एजेन्सी का कार्य करता है।

- धोखाधड़ी के पीड़ितों को स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करना चाहिए। पुलिस को ऐसे धोखेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

ऐसे जाली प्रस्तावों को प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना चाहिए ?

- आपको इस प्रकार के संदेश पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसी योजनाओं में भागीदारी के लिए कोई भुगतान नहीं करना चाहिए।

- कृपया स्थानीय पुलिस/साइबर अपराध कक्ष/स्थानीय आर्थिक अपराध विंग में शिकायत दर्ज करायें।

- ऐसा जाली प्रस्ताव मिलने पर स्पष्टीकरण के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक

www.rbi.org.in